बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (किशनगंज) 02–59/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, किशनगंज के पत्रांक–1863/जि0रा0, दिनांक–29.08.2024 के द्वारा **श्री ओम प्रकाश भगत, तत्कालीन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज, किशनगंज** के विरूद्ध राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना के द्वारा वाद सं0–101/2021, मो0 जफर हुसैन बनाम जेबा बख्तियार मामले में दिनांक–07.06.2024 को पारित आदेश में आरोपी पदाधिकारी द्वारा श्रीमती जेबा बख्तियार, जाति–शेख को गलत जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के लिये आरोप पत्र गठित कर साक्ष्यों के साथ विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभाग स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–2317(15), दिनांक–19.11.2024 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री भगत द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण अपने कार्यालय के पत्रांक–978–II दिनांक–03.12.2024 से विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री भगत से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प सं0–440(15) दिनांक–21.03.2025 द्वारा श्री भगत के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, किशनगंज** को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, किशनगंज के पत्रांक–2149/जि0रा0 दिनांक–09.06.2026 द्वारा श्री भगत के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें सभी आरोपों को प्रमाणित अंकित किया गया है।

5. आरोपी पदाधिकारी से प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–1352(15) दिनांक–25.08.2026 से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री भगत द्वारा अपना अभ्यावेदन/निवेदन दिनांक–11.08.2026 से विभाग को समर्पित किया गया।

6. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में श्री भगत से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के अवलोकनोपरान्त/समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के साथ 02(दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

7. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के

निर्णयानुसार श्री ओम प्रकाश भगत, तत्कालीन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज, किशनगंज **सम्प्रति राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन कार्यालय, सुपौल** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(vi) के तहत **"संचयी प्रभाव के साथ 02(दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(डॉ0–महेन्द्र–पाल)
अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (किशनगंज) 02–59/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वाद सं0–101/2021 में पारित आदेश दिनांक–07.06.2024 के आलोक में श्री ओम प्रकाश भगत, तत्कालीन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज/श्री अजय कुमार सिंह तत्कालीन अंचल निरीक्षक (राजस्व अधिकारी), ठाकुरगंज एवं श्री विजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा (F.I.R) दर्ज की जाय, श्री सिंह(राजस्व अधिकारी) के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। साथ ही श्री सिन्हा (राजस्व कर्मचारी) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करते हुए सभी मामलों से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (किशनगंज) 02–59/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, किशनगंज एवं सुपौल/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/ श्री ओम प्रकाश भगत, राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (किशनगंज) 02–59/2024–2051.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–03/11/26.....

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री भगत** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

30/11/26

(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।